न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्र0–.......... R-1442-I/12

मंगलेश्वर सिंह तनय स्व0 श्री राजकुमार सिंह उम्र– 71 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– पहाड़ी, तहसील– सिहावल, जिला– सीधी (म.प्र.) —— आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. चिन्तामणि तनय अमीरदास साहू उम्र– 37 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– पहाड़ी, तहसील– सिहावल, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. म0प्र0 शासन

—— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक– 142/निगरानी/2007–08 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 19.04.12 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक– 1 की ओर से प्रस्तुत अवधि वाह्य पुनरीक्षण को समय सीमा में मान्य किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

श्री .... द्वारा आज दि. .... प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

21.05.12

21-5-2012

मान्यवर,

निगरानीकर्ता / आवेदक की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण प्रस्तुत है:–

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

... पहाड़ी, तहसील– सिहावल, जिला– सीधी (म.प्र.)

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुपूर्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1442/I/12/रीवा मंगलेश्वर / चिन्तामणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
02/01/19	आवेदक की ओर से श्री आर. डी. शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 142/नि./07-08 में पारित आदेश दिनांक 19-4-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18/04/19 को संभागीय आयुक्त रीवा (म.प्र.) के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य	